किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान– कस्तुरीदेवी बनाम गणेशाराम वगैरा मु.नं. 18/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
13.05.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 ता 24 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धारणा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 398 रकबा 3.7959 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।तहरीर जारी हो।पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.06.12 11:13:46 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2024 / 732 दिनांक : 16.05.2024

प्रार्थीनी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

कस्तुरी देवी पत्नी थानाराम **गणेशाराम पुत्र डायाराम वगैरा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 18 / 2023 दिनांक :– 13.05.24

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम धारणा तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 398 रकबा 3.7959 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1000/–प्रार्थीनी अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक / 2024 / 733–736 दिनांक : 16.05.2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी धारणा को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्रीमती कस्तुरीदेवी पत्नी थानाराम जाति मेघवाल निवासी धारणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangaroth
Date: 2024.06.12 11:13:49 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)